



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 133 / 2026

राम विलास

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ एवं 5 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – अनिल कुमार निषाद, संतोष कुमार यादव

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, दिलीप कुमार पाण्डेय

न्यायालय संख्या – 17**माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी**

1. वाद पुकारा गया। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ताओं में से एक, श्री अनिल कुमार निषाद के जिले से बाहर होने की सूचना है।
2. वाद-सूची में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के रूप में श्री संतोष कुमार यादव का नाम प्रदर्शित है, लेकिन वह न्यायालय की सहायता के लिए उपस्थित नहीं हैं और न ही उनकी ओर से मामले को स्थगित करने का कोई अनुरोध किया गया है।
3. अतः, न्यायालय राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विकास राय और गांव सभा के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री दिलीप कुमार पाण्डेय की सहायता से अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद आदेश पारित करने के लिए आगे कार्यवाही कर रहा है।
4. प्रस्तुत याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के अंतर्गत वाद संख्या 6335 वर्ष 2024, कंप्यूटरीकृत केस संख्या टी202410330306334 में तहसीलदार, तहसील बिलग्राम, हरदोई द्वारा पारित बेदखली आदेश दिनांक 29.10.2025 के निष्पादन हेतु निर्देश जारी करने की मांग

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

की है।

5. उपजिलाधिकारी, बिलग्राम, हरदोई द्वारा उपलब्ध कराए गए लिखित निर्देशों के आधार पर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि प्रभावित व्यक्ति ने उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 209 (ज) के अंतर्गत पुनर्स्थापना हेतु एक आवेदन दायर किया था जो विचाराधीन है।

6. लिखित निर्देशों की एक प्रति अभिलेख पर ग्रहण की जाती है।

7. तदनुसार, वर्तमान याचिका को उपरोक्त वाद संख्या टी202410330306334 में पारित आदेश दिनांक 29.10.2025 को अपास्त करने और उ.प्र. राजस्व संहिता 2006 की धारा 209 (ज) के अंतर्गत बहाली के आवेदन को विधि के अनुरूप, किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए बिना और अल्प अवधि के अंतराल पर तारीखें नियत करते हुए तत्परतापूर्वक निस्तारित करने का निर्देश जारी करते हुए निस्तारित किया जाता है।

20 फरवरी, 2026

अमित के

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)